छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2382/2010

1. महेंद्र कुमार ढोके, उम्र लगभग 43 वर्ष,
   पुत्र स्व. श्री बाबू राव ढोके, सी/ओ शमीम खान,
   माता गैरेज, काली माता वार्ड क्रमांक 30 पंडरी, रायपुर (छ.ग.)

----------**याचिकाकर्ता**

//बनाम//

1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़, वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, मुख्यालय, 22, आनंद नगर, रायपुर (छ.ग.)
3. कलेक्टर, जिला नारायणपुर (छ.ग.)
4. डिप्टी कलेक्टर, जिला नारायणपुर (छ.ग.)

----------**उत्तरवादी**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतु श्री प्रांजल शुक्ला, अधिवक्ता
उत्तरवादी क्रमांक 01 राज्य हेतु श्री सौम्या राय पैनल अधिवक्ता
उत्तरवादी क्रमांक 02 हेतु श्री अनुरूप पांडा अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

पीठ पर आदेश

03/08/2021

1. याचिकाकर्ता इस रिट याचिका के माध्यम से दिनांक 27.04.2009 के आरोप पत्र की वैधानिकता और औचित्य को चुनौती दे रहा है जो उसे 28.05.2009 को अनुलग्नक पी/1 के माध्यम से याचिकाकर्ता को प्राप्त हुआ था, जिसके तहत उत्तरवादी क्रमांक 3, कलेक्टर, नारायणपुर द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा विवादित आदेश को मनमाना, अवैध और कानून के विरूद्ध बताया गया। याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 03 एवं उत्तरवादी क्रमांक 02 के द्वारा शुरू की गई विभागीय जांच को पूरा करने के लिए जारी दिनांक 12.10.2009 (अनुलग्नक पी/2) के पत्र को भी चुनौती दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रांजल शुक्ला ने व्यक्त किया कि प्रासंगिक समय पर याचिकाकर्ता कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत था तथा उसकी नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी तथा सेवा समाप्ति प्राधिकारी छत्तीसगढ़ वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1962 (स्टाफ विनियम) के विनियम 22 (2) के आधार पर उत्तरवादी क्रमांक 2, प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन है, अतः कलेक्टर याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ नहीं कर सकते थे, अत: विवादित आरोप पत्र (अनुलग्नक पी/1) और यह परिणामी कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।

3. उत्तरवादी क्रमांक 01 राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री सौम्या राय द्वारा विवादित आदेश का समर्थन करेंगे।

4. उत्तरवादी क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुरूप पांडा द्वारा बातया गया कि वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में 50% शेयरधारिता राज्य के पास है और कलेक्टर द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच शुरू किए जाने के बाद, निगम द्वारा जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, इसलिए आदेश टिकाऊ है और रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बात सुनी है, उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वंदी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेखों का अध्ययन किया है।

6. प्रासंगिक समय पर, याचिकाकर्ता कनिष्ठ तकनीकी सहायक के रूप में काम कर रहा था और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, याचिकाकर्ता के नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी और छत्तीसगढ़ वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1962 (कर्मचारी विनियम) के विनियम 22 (2) के आधार पर समाप्ति प्राधिकारी उत्तरवादी क्रमांक 2, प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन है। उक्त अधिनियम के विनियम 22 में निम्नानुसार प्रावधान है :-

> **“22. दंड लगाना।**
>
> 1. कोई भी कर्मचारी निगम के नियमों का उल्लंघन करता है या अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही, अकुशलता या आलस्य का दोषी पाया जाता है या जानबूझकर निगम के हितों के लिए हानिकारक कुछ भी करता

है या इसके निर्देशों के विपरीत काम करता है या अनुशासन का उल्लंघन करता है या किसी अन्य दुराचार के कृत्य का दोषी पाया जाता है या किसी आपराधिक अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसे निम्नलिखित दंड दिया जाएगा:

(क) जुर्माना

(ख) निंदा

(ग) देरी या काम रोकना वेतन वृद्धि या पदोन्नति

(घ) उसकी स्थायी श्रेणी में निम्न पद पर अवनति या उसके वेतन वृद्धि स्केल में निम्न स्तर पर अवनति।

(ङ) कर्मचारी द्वारा निगम को पहुँचाई गई आर्थिक हानि के पूरे या आंशिक भाग की वेतन से वसूली।

(च) निष्कासन

(छ) बर्खास्तगी

2. जुर्माना लगाने की शक्ति उपविनियम (1) के अंतर्गत निम्नलिखित का प्रयोग किया जाएगा:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) प्रबंध निदेशक के अलावा वर्ग I कर्मचारियों के मामले में, निदेशक मंडल द्वारा सभी दंडों के संबंध में, और वर्ग II कर्मचारियों के मामले में उपविनियम (1) के खंड (बी) और (सी) में निर्दिष्ट दंड को छोड़कर सभी दंडों के संबंध में कार्यकारी समिति द्वारा बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन के अधीन।

(ii) श्रेणी III और श्रेणी IV कर्मचारियों के मामले में, सभी दंडों के संबंध में, और श्रेणी II कर्मचारियों के मामले में, प्रबंध निदेशक द्वारा उप विनियमन (1) के खंड (बी) और (सी) में निर्दिष्ट दंड।

(क्षेत्रीय प्रबंधक अपने क्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी और सेवा समाप्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। प्राधिकरण निदेशक मंडल की बैठक संकल्प क्रमांक 14 दिनांक 4.7.81)

(iii) प्रबंध निदेशक के मामले में उपविनियम (1) के खंड (एफ) और (जी) में निर्दिष्ट दंड को छोड़कर सभी दंडों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय भंडारण निगम के परामर्श से।

(iv) उपविनियम (1) (ए), (1) (बी) और (1) (सी) में निर्दिष्ट के अलावा किसी भी कर्मचारी पर उसके खिलाफ औपचारिक आरोप तय किए बिना

और उसे लिखित में स्पष्टीकरण देने और उसके खिलाफ गवाह, यदि कोई हो, से जिरह करने और बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना कोई अन्य दंड नहीं लगाया जाएगा।

(v) किसी भी बात के होते हुए भी इन विनियमों में निहित, राज्य सरकार या सरकारी संस्थान या सहकारी समितियों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी को उनकी मूल सेवा में इस संबंध में निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार दंड लगाया जाएगा।

चूंकि याचिकाकर्ता प्रासंगिक समय पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत था, जो कि तृतीय श्रेणी का पद है, याचिकाकर्ता का नियुक्ति प्राधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी/समाप्ति प्राधिकारी छत्तीसगढ़ वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक, उत्तरवादी क्रमांक 2 है, इसलिए विभागीय जांच कलेक्टर, उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा शुरू नहीं की जा सकती थी, जो कि स्पष्टतः अधिकार क्षेत्र और कानून के प्राधिकार के बिना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. कलेक्टर द्वारा अपराधी के विरुद्ध जांच शुरू करने के बाद, भले ही जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी निगम द्वारा नियुक्त किया गया हो, विभागीय जांच शुरू करने का आदेश वैध नहीं होगा और यह अधिकार क्षेत्र के बिना रहेगा, क्योंकि कलेक्टर के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। क्षेत्राधिकार परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने वाला विवादित आदेश (अनुलग्नक पी/1) और परिणामी कार्यवाही अवैध और कानून के अधिकार के बिना हो जाती है। तदनुसार, याचिकाकर्ता को 28.05.2009 को अनुलग्नक-पी/1 के तहत दी गई विवादित आरोप पत्र दिनांक 27.04.2009 और विवादित पत्र दिनांक 12.10.2009 (अनुलग्नक पी/2) को एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। हालांकि, उत्तरवादी क्रमांक 2 कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है।

8. तदानुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/
संजय के. अग्रवाल
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur